



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Phone/ Fax:- 0135-2531154/2531072

E-mail: eicpwduk@nic.in

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांक- 628 / 76 याता रुज 2016

दिनांक- 14-11-2016

कार्यालय आदेश

माननीय सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति द्वारा अपने पत्रांक 29/CORS/2014 Pt.II दिनांक 10.8.16 में दिये निर्देशों के क्रम में आदेशित किया जाता है कि विभाग में जो निर्माण कार्य किये जा रहे हैं, उसमें विभाग द्वारा स्वीकृत मानक दरों में प्राविधानित मदों के अनुरूप सड़क सुरक्षा का कार्य डी0पी0आर0 में रखना सुनिश्चित करें।

इसी प्रकार 10 करोड़ से अधिक लागत के कार्यो हेतु SP-44 में Highway Safety Code Manual के अनुरूप प्राविधान रखा जाए तथा थर्ड पार्टी द्वारा IRC-SP 88-2010 के अनुसार Road Safety Audit कराना सुनिश्चित किया जाये।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(आर0सी0पुरोहित)

मुख्य अभियन्ता स्तर-1(मु0)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सेवा में सूचनार्थ।
2. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य अभियन्ता स्तर-1(मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-I / II, लोक निर्माण विभाग.....।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग.....।
6. समस्त अधीशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग.....।
7. वरिष्ठ स्टॉफ ऑफिसर (नियोजन) विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (नियोजन) विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
9. बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
10. कनिष्ठ अभियन्ता, प्राविधिक, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

मुख्य अभियन्ता स्तर-1(मु0)
लोक निर्माण विभाग।